



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032021-225814
CG-DL-E-11032021-225814

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राप्तिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1051]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 11, 2021/फाल्गुन 20, 1942

No. 1051]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 11, 2021/PHALGUNA 20, 1942

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2021

का.आ. 1139(अ).—विधंसक कीट एवं नाशीजीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार पौध संग्रोथ (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में और संशोधन करने के लिए एतद् द्वारा, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातः—

1. लघु शीर्ष और प्रारंभ - (1) यह आदेश पौध संग्रोथ (भारत में आयात का विनियमन) (प्रथम संशोधन) आदेश, 2021 कहा जाएगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. अनुसूची VI में संशोधन – पौध संग्रोथ (भारत में आयात का विनियमन), आदेश 2003 की अनुसूची VI में

(i) पाम फलों से संबंधित क्रम संख्या 262 के सामने प्रविष्ट (ii) से संबंधित “मैलूस डामेस्टिका (सेब)” के सामने कालम 2 में और खपत के लिए ताजे फलों से संबंधित कालम 3 एवं मद (viii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद कालम 4 में क्रमशः कालम (4), (5) और (6) को अंतः स्थापित किया जाएगा अर्थातः—

मूल देश	पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र में शामिल की जाने	आयात की विशिष्ट शर्तें
---------	---	------------------------

(4)	(5)	(6)
(ix) दक्षिणी कोरिया	<p>से मुक्तः</p> <p>(क) एक्यूल्स स्चलेटेंडली (एप्पल रस्ट माइट)</p> <p>(ख) एडोक्सोफाइस ओराना (समर फ्रूट टॉरटिक्स)</p> <p>(ग) बॉटरीयोस्फेरिया बेरेंगेरियाना एफ. एसपी. पाइरीकोला (फाइसालोस्पोरा कैंकर)</p> <p>(घ) कारपोसिना सासाकी (पीच फ्रूट मोठ)</p> <p>(ङ) ग्राफोलिटा मोलेस्टा (ओरियंटल फ्रूट मोठ)</p> <p>(च) हारमोनिया एक्सीरीडीस (हार्लेक्सिन लेडीबर्ड)</p> <p>(छ) मेटाकाल्फा परुइनोसा (फॉरेस्टेड मोठ-बाग)</p> <p>(ज) पेरीझ्वा सॉसिया (पीयरली अंडरविंग मोठ)</p>	<p>(i) एनएपी के अंतर्गत 21 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक पर 2 घंटों के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर की दर से मिथाइल ब्रोमाइड के साथ धूमन या इसके समान या</p> <p>(ii) 40 दिनों के लिए 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम पर पूर्व लादान/पारगमन शीत उपचार। देश में उत्पत्ति/ पुनः निर्यात पर जारी पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र के आधार पर उपचार का पृष्ठांकन किया जाएगा।</p>

(ii) पाम फलों से संबंधित क्रम संख्या 262 के सामने प्रविष्टि (ii) में आइटम (IV) के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा अर्थात्:

पादप किस्में	पादप सामग्री की श्रेणी	मूल देश	पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र में शामिल की जाने वाली अपेक्षित अतिरिक्त घोषणाएं	आयात की विशिष्ट शर्तें
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(v) क्विंस (cydonia spp)	खपत के लिए ताजा फल	(i) दक्षिणी कोरिया	<p>से मुक्तः</p> <p>(क) एक्यूल्स स्चलेटेंडली (एप्पल रस्ट माइट)</p> <p>(ख) एडोक्सोफाइस ओराना (समर फ्रूट टॉरटिक्स)</p> <p>(ग) बॉटरीयोस्फेरिया बेरेंगेरियाना एफ. एसपी. पाइरीकोला (फाइसालोस्पोरा कैंकर)</p> <p>(घ) कारपोसिना सासाकी (पीच फ्रूट मोठ)</p> <p>(ङ) ग्राफोलिटा मोलेस्टा (ओरियंटल फ्रूट मोठ)</p> <p>(च) हारमोनिया एक्सीरीडीस (हार्लेक्सिन लेडीबर्ड)</p> <p>(छ) मेटाकाल्फा परुइनोसा (फॉरेस्टेड मोठ-बाग)</p> <p>(ज) पेरीझ्वा सॉसिया (पीयरली अंडरविंग मोठ)</p>	<p>(i) एनएपी के अंतर्गत 21 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक पर 2 घंटों के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर की दर से मिथाइल ब्रोमाइड के साथ धूमन या इसके समान या</p> <p>(ii) 40 दिनों के लिए 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम पर पूर्व लादान/पारगमन शीत उपचार। देश में उत्पत्ति/ पुनः निर्यात पर जारी पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र के आधार पर उपचार का पृष्ठांकन किया जाएगा।</p>

(iii) क्रम संख्या 784 एवं इनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियों को प्रतिष्ठापित किया जाएगा, नामतः-

क्रम सं.	पादप किस्में	पादप सामग्री की श्रेणी	मूल देश	पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र में शामिल की जाने वाली अपेक्षित अतिरिक्त घोषणाएं	आयात की विशेष शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
785	Ilex पैरागैरिएन्सिस (येरबा मेट)	मानव उपभोग के लिए सूखी और पीस जड़ी बूटी	(i) अर्जेंटीना	शृन्य	शृन्य

[फा. सं. 8-34/2021-पीपी-II]

अतीश चंद्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : पौध संगरोथ (भारत के आयात का विनियमन), आदेश, 2003 को 18 नवम्बर, 2003 के का.आ. 1322(अ) में प्रकाशित किया गया था तथा इसके बाद दिनांक 6 फरवरी, 2004 के का.आ. 167(अ), 29 मार्च, 2004 के का.आ. 427(अ), 31 मई, 2004 के का.आ. 644(अ), 25 फरवरी, 2005 के का.आ. 263(अ), 31 मार्च, 2005 के का.आ. 462(अ), 14 जुलाई, 2006 के का.आ. 1121(अ), 31 जुलाई, 2006 के का.आ. 1353(अ), 31 अक्टूबर, 2006 के का.आ. 1873(अ), 6 दिसम्बर, 2006 के का.आ. 2074(अ), 3 दिसम्बर, 2007 के का.आ. 2069(अ), 1 जनवरी, 2008 के का.आ. 3(अ), 8 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2847(अ), 15 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2888(अ), 9 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2286(अ), 16 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2390(अ), 23 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3269(अ), 24 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3298(अ), 21 अप्रैल, 2010 के का.आ. 907(अ), 27 अगस्त, 2010 के का.आ. 2095(अ), 15 सितम्बर, 2010 के का.आ. 2284(अ), 11 अक्टूबर, 2010 के का.आ. 2516(अ), 4 नवम्बर, 2010 के का.आ. 2711(अ), 28 दिसम्बर, 2010 के का.आ. 3052(अ), 28 अप्रैल, 2011 के का.आ. 887(अ), 21 दिसम्बर, 2011 के का.आ. 2845(अ), 17 फरवरी, 2012 के का.आ. 296(अ), 23 नवम्बर, 2012 के का.आ. 2775(अ), 21 मार्च, 2013 के का.आ. 799 (अ), 28 मई, 2013 के का.आ. 1378(अ), 14 जून, 2013 के का.आ. 1531(अ), 26 सितम्बर, 2013 के का.आ. 2919(अ), 13 जून, 2014 के का.आ. 1508(अ), 27 जून, 2014 के का.आ. 1632(अ), 12 सितम्बर, 2014 के का.आ. 2320(अ), 29 सितम्बर, 2014 के का.आ. 2542(अ), 11 नवम्बर, 2014 के का.आ. 2879(अ), 10 दिसम्बर, 2014 के का.आ. 3114(अ), 26 मई, 2015 के का.आ. 1413(अ), 15 सितम्बर, 2015 के का.आ. 2496(अ), दिनांक 13 जनवरी, 2016 के का.आ. 101(अ), 7 मार्च, 2016 के का.आ. 608(अ), दिनांक 25 मई, 2016 के का.आ. 1873(अ), दिनांक 20 जून, 2016 के का.आ. 2192(अ) दिनांक 29 जून, 2016 के का.आ. 2248(अ), दिनांक 05 जुलाई, 2016 के का.आ. 2453(अ), दिनांक 5 अगस्त, 2016 के का.आ. 2614(अ) एवं दिनांक 12 जनवरी, 2017 के का.आ. 264(अ), दिनांक 3 फरवरी, 2017 के का.आ. 364(अ), दिनांक 27 अप्रैल, 2017 के का.आ. 1344(अ), दिनांक 8.05.2017 के का.आ. 1475(अ), दिनांक 21.06.2017 के का.आ. 2019(अ), दिनांक 6.07.2017 के का.आ. 2152(अ), दिनांक 23.08.2017 के का.आ. 2752(अ) और दिनांक 06.10.2017 के का.आ. 3293(अ) और दिनांक 7 नवम्बर, 2017 के का.आ. 3556(अ) और दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 के का.आ. 4082 (अ) तथा दिनांक 20 मार्च, 2018 के का.आ. 1248 (अ), दिनांक 10 मई, 2018 के का.आ. 1873 (अ), दिनांक 15 मई, 2018 के का.आ. 1930(अ), दिनांक 24 मई, 2018 के का.आ. 2059 (अ), दिनांक 4 जून, 2018 के का.आ. 2286 (अ), दिनांक 29 जून, 2018 के का.आ. 3194 (अ), दिनांक 10 जुलाई, 2018 के का.आ. 3392 (अ) और दिनांक 16 अगस्त, 2018 के का.आ. 3998 (अ), दिनांक 3 अक्टूबर, 2018 के का.आ. 5158(अ), दिनांक 22 नवंबर, 2018 के का.आ. 3830 (अ), दिनांक 18 दिसम्बर, 2018 के का.आ. 6224 (अ), दिनांक 19 फरवरी, 2019 के का.आ. 941 (अ) दिनांक 6 मई, 2019 के का.आ. 1728 (अ), दिनांक 24 मई, 2019 के का.आ. 1807 (अ), दिनांक 11.06.2019 के का.आ. 1954(अ), दिनांक 15 जुलाई, 2019 के का.आ. सं. 2525(अ), दिनांक 18 जुलाई, 2019 के का.आ. सं. 2603(अ), दिनांक 29 अगस्त, 2019 के का.आ. सं. 3141(अ), दिनांक 1 अक्टूबर, 2019 के का.आ. सं. 3594(अ), 24 अक्टूबर, 2019 के का.आ. सं. 3845(अ), दिनांक 8 नवंबर, 2019 के का.आ. सं. 4083(अ), दिनांक